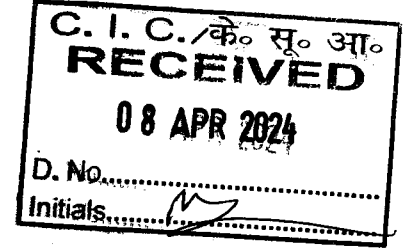




केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.



प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00035
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00040
अपीलकर्ता : कमला प्रसाद पांडे
पिता रामलखन पांडे,
पुराना गोरखपुर शिव मंदिर से दक्षिण तरफ,
पोस्ट - गोरखनाथ, जिला - गोरखपुर,
पिन - 273015 (Ph No 6393237277)

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.01.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30.01.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.02.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन बाला CPIO (DR to CR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.03.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	13.03.2024
निर्णय की तारीख	05.04.2024

I. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2023 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

“अपीलकर्ता ने डायरी नं 143730/2023 दिनांक 02-11-2023 उत्तर प्रदेश प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ को अंतरित करने से संबंधित 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी है।”(फाइल में सलग्न है)

II. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2024 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

“Point 1-5 : The above mentioned petition was forwarded to Secretary, State information Commission Uttar Pradesh with a copy to you also vide our letter dated 02.11.2023 (copy enclosed). However, the matter is related to District Court Gorakhpur. Which comes under the jurisdiction of SIC UP.”

III प्रथम अपील का आधार

उक्त जवाब से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है तथा प्रार्थी उक्त उत्तर के विरुद्ध ये प्रथम अपील निम्न आधारों पर कर रहा है :-

“अपीलकर्ता केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।”

IV निर्णय

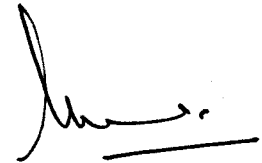
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00040 में सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। राज्य से संबंधित सूचना, राज्य सूचना आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है।

अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

V. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

VI. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 05.04.2024



(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 26105021

प्रतिलिपि :


9/04/24

1). केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।